न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 128 / 2023

प्रार्थी :— श्रीमती सुन्दर कंवर पत्नी श्री नगसिंहजी जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष, निवासी राठौडो की ढाणी, देमो की ढाणी तहसील कल्याणपुर, जिला बाडमेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. रामसिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति राजपूत, निवासी पिण्डारान, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर ।
2. चिमनभारती पुत्र खंगार भारती जाति गोस्वामी निवासी रावली ढाणी, तह0 पचपदरा, जिला बाडमेर।
3. बाबुसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी पिण्डारन, तह0 कल्याणपुर जिला बाडमेर ।
4. अगरोंदेवी पत्नी रूपाराम
5. जेताराम पुत्र भाखरराम
6. देवाराम पुत्र रूपाराम
7. नारायणराम पुत्र भाखरराम
8. पप्पाराम पुत्र भाखरराम
9. भैराराम पुत्र रूपाराम
10. मोहनीदेवी पत्नी भाखरराम सभी जातियान राईका निवासी पिण्डारान, तह0 कल्याणपुर, जिला बाडमेर।
11. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार कल्याणपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

(हस्ताक्षर)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपस्थित :—

1. श्री देवी सिंह महेचा , प्रार्थीनी अधिवक्ता

2. श्री राजेन्द्रपालसिंह, विप्रार्थी संख्या 1 ता 3

3. विप्रार्थी संख्या 4 से 11 एक पक्षीय

आदेश दिनांक :– 31.7.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा पिण्डारन, पटवार हल्का काकराला, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर के खसरा संख्या 183/4 क्षेत्रफल 3.6584 हैक्टयर मे अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 ता 3 जरिये वकालतन उपस्थित ने विप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की और से जबाब व काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना में अंकित तथ्य मनगढत व गलत अंकित किये गये है प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य कभी सेढो सम्बन्धित विवाद नहीं रहा है, विप्रार्थी की भूमि पर तारबंदी की गयी जो दस वर्ष पुरानी है । अतः प्रार्थी का पत्र खारिज किया जावें साथ ही काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 174/4 रकबा 3.8769 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम व खसरा संख्या 192/4 रकबा 3.1970 हैक्टयर किस्म बा. अव्वल एवं विप्रार्थी संख्या 02 के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 191/4 रकबा 5.4558 हैक्टयर सरहद मौजा साकरपुरा पटवार हल्का कांकराला तह0 पचपदरा की नेखम पैमाईश जरिये

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

पत्थरगढी करने का काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया । विप्रार्थीगण संख्या 4 ता 11 को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया बावजूद सूचना के अनुपस्थित। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी असालतन या वकालतन हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

उभय पक्ष की बहस सुनी । वकील प्रार्थी ने दोहराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की पिण्डारन, पटवार हल्का काकराला, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर जिला बाडमेर के खसरा संख्या 183/4 क्षेत्रफल 3.6584 हैक्टयर में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु के आदेश फरमावे जावे । बहस को जारी करते हुए कथन किया कि विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से जबाब व काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व प्रस्तुत किया गया है । विप्रार्थीगण को यदि अपने खेत की पत्थरगढी व नेखमबंदी करवानी है तो सीमाज्ञान करवाते हुए पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाते हुए पृथक से प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत कर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है । अतः विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से प्रस्तुत काउण्टर क्लेम प्रंार्थनां पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाएं ।

विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के वकील न अपनी बहस मे जबाब मय काउण्टर क्लेम प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहरान करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए काउण्टर क्लेम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

हमने प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1. व 2 के विद्ववान अधिवक्तागण की बहस सुनी और बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॅार्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा पिण्डारन, पटवार हल्का काकराला, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 183/4 क्षेत्रफल 3.6684 हैक्टयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079 2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना व विप्रार्थी संख्या 01 व 02 के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र साबित नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खेत पिण्डारन, पटवार हल्का काकराला, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कल्याणपुर, तहसील कल्याणपुर जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 183/4 क्षेत्रफल 3.6684 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते है कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर नेखमबंदी की जावे -प्रार्थी मौके पर कमीश्नर शुल्क 1500/- अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो।

(विवेक व्यास)
उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 31.07.2023 को आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा
बालोतरा